राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में विद्यालयी शिक्षा में जेंडर समावेशन

मोहम्मद ज़मीर*

भारत में समाजीकरण की प्रक्रियाओं ने कई परिप्रेक्ष्यों में परिवार, समुदाय, विद्यालय और कार्यस्थलों में जेंडर असमानताओं को कायम रखा है। क्योंकि यह अवधारणाएँ पितृसत्तात्मक सोच पर आधारित हैं। यह सोच उन परंपराओं को परिभाषित करती है, जो राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार और विशेषाधिकार की भूमिकाओं के माध्यम से समाज में पुरुष एवं महिला के बीच असमानता या भेदभाव उत्पन्न करती है। इन्हीं समाजीकरण के परिप्रेक्ष्यों में विद्यालय एक महत्वपूर्ण अभिकर्ता है, जो बच्चों को इस असमानता के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा जेंडर समानता की समझ विकसित कर व्यवहार में लाता है। इस हेतु शिक्षा की विषयवस्तु और प्रक्रिया को जेंडर पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को संबोधित करते हुए समावेशी समाज के निर्माण हेतु कार्य करना होगा। इसी कड़ी में, यह लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ मे विद्यालयी शिक्षा एवं विद्यालयी वातावरण को जेंडर समावेशी बनाने के प्रयासों को प्रस्तुत करता है।

जब एक शिशु जन्म लेता है तो उसका लिंग (सेक्स) जैविक और प्राकृतिक रूप से पहले ही निर्धारित होता है, जिससे शिशु का लड़का और लड़की होने का बोध होता है। किंतु जेंडर का तात्पर्य स्त्री या पुरुष होने की अवस्था से है अर्थात जेंडर, लड़कों या पुरुषों, लड़कियों या महिलाओं की उन विशेषताओं को दर्शाता है, जो समाज ने निर्मित की हैं। इसमें लड़की एवं लड़कों के लिए बनाए गए सामाजिक अंतर, मापदंड, व्यवहार, भूमिका आदि शामिल हैं। नारीत्व या पुरुषत्व की अवस्थिति और सामाजिक संदर्भ में इसका अर्थ पुरुषों एवं महिलाओं के बीच के सामाजिक अंतरों से है। लड़के एवं लड़कियाँ समाज में अपनी वृद्धि के साथ-साथ इन अंतरों को सीखते हैं, जो एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति से भिन्न होते हैं। इसके अलावा जाति, वर्ग, धर्म, जातीयता और दिव्यांगता जैसे अन्य कारकों से भी जेंडर प्रभावित होता है।

यह समझना भी आवश्यक है कि जेंडर सिर्फ़ लड़के और लड़कियों तक ही सीमित नहीं है। कुछ पुरुष ऐसे भी होते हैं जो पुरुष शरीर के साथ पैदा होते हैं लेकिन वे लड़कियों और महिलाओं की तरह व्यवहार करते हैं, कपड़े पहनते हैं, और उनके जैसे कार्यों को करने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। इसी तरह, कुछ ऐसी महिलाएँ भी होती हैं जो लड़कों या पुरुषों की तरह कपड़े पहनना, अभिनय करना और व्यवहार करना अधिक पसंद करती हैं।

* *प्राचार्य*, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, कड़कड़डूमा, नई दिल्ली 110092

उन्हें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका व्यवहार, भूमिका और विशेषताएँ भी समाज द्वारा निर्धारित की जाती हैं। किसी भी जाति, जेंडर, धर्म आदि के व्यक्तियों के जीवन में सफलता हेतु शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे संविधान के अनुसार सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और ट्रांसजेंडर समुदाय भी इससे अछूता नहीं है। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020* में अनुशंसा की गई है कि भारत सरकार सभी लड़कियों और साथ ही ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक 'जेंडर समावेशी' निधि का गठन करेगी। जो महिला एवं ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह प्रावधान विविध संदर्भों में समानता और सभी को शामिल करने पर ज़ोर देता है। इस नीति का उद्देश्य किसी भी जेंडर या अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह के बच्चों के लिए शिक्षा (व्यावसायिक शिक्षा सहित) तक पहुँच में शेष असमानता को समाप्त करना है। (अनुच्छेद 6.8)

समग्र शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जेंडर हेतु प्रावधान

समग्र शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की विद्यालयी शिक्षा के लिए एक समावेशी योजना है, जो वर्ष 2018–19 में प्रारंभ की गई थी। उसमें पूर्व-विद्यालयी शिक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। यह योजना विद्यालयी शिक्षा को निरंतरता प्रदान करती है, जो शिक्षा के सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.-4) के अनुरूप है। यह योजना न केवल शिक्षा के अधिकार (आर.टी.ई.) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि सभी बच्चों की एकसमान और समावेशी वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच हो। साथ ही, बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं, विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं का भी ध्यान रखा जाता हो और उनकी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी हो। वर्तमान में समग्र शिक्षा योजना में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर नए हस्तक्षेप शामिल किए गए हैं—

- सभी बालिका छात्रावासों में भस्मक (इनसिनेरेटर) और सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने वाली वेंडिंग मशीनों का प्रबंध कराना।
- सभी वर्तमान उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में स्ट्रीम के बजाए नए विषयों को जोड़ना।
- माध्यमिक स्तर तक की बालिकाओं को परिवहन सुविधा हेतु 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करना।
- विद्यालयी शिक्षा के दायरे से बाहर के 16 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एन.आई.ओ.एस.) या राज्य मुक्त विद्यालय (एस.ओ.एस.) के माध्यम से उनकी माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों को उनकी कक्षा के अनुसार 2,000 रुपये प्रति बच्चा, सहायता प्रदान करना।

- प्रत्येक शिक्षार्थी की संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष में प्रगति या विशिष्टता को दर्शाने वाला समग्र प्रगति कार्ड (एच.पी.सी.) तैयार करना।
- सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (के.जी.बी.वी.) को कक्षा 12 तक उन्नत किया जाएगा।
- कक्षा 9 से 12 (कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (के.जी.बी.वी.) टाइप IV) के लिए मौजूदा अलग बालिका छात्रावासों (गर्ल्स हॉस्टल) के लिए वित्तीय सहायता को 40 लाख रुपये प्रतिवर्ष किया गया। पहले यह राशि 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष थी।
- सरकारी विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक वर्गों के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री (टी.एल.एम.), देशी खिलौना और खेल-आधारित गतिविधियों के लिए 500 रुपये प्रति बच्चे का प्रावधान।
- विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक एवं जेंडर अंतर को समाप्त करना।
- सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक सभी लड़कियों और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले बच्चों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए नि:शुल्क वर्दी का प्रावधान।
- राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशा-निर्देशों के पालन का प्रावधान।
- 'रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा संरक्षण' के तहत लड़कियों ने आत्मरक्षा कौशल विकसित करने के लिए तीन महीने के प्रशिक्षण के लिए राशि 5,000 रुपये प्रतिमाह का प्रावधान।
- विशेष आवश्यकता वाली (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) लड़कियों के लिए पूर्व-प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अलग से 10 महीने के लिए 200 रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति का प्रावधान।
- प्रखंड (ब्लॉक) स्तर पर विशेष आवश्यकता वाली (सी.डब्ल्यू.एस.एन.) लड़कियों के लिए वार्षिक पहचान शिविरों का प्रावधान तथा उनके पुनर्वास और विशेष प्रशिक्षण के लिए प्रति शिविर 10,000 रुपये का प्रावधान।
- दूरदराज के क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों के लिए नेताजी सुभाषचंद्र बोस आवासीय विद्यालय का प्रावधान।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी समतामूलक और समावेशी शिक्षा— सभी के लिए अधिगम, अध्याय 6 के अंतर्गत कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं—

- भारतीय शिक्षा प्रणाली और क्रमिक सरकारी नीतियों ने विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों में जेंडर और सामाजिक श्रेणियों के अंतरालों को कम करने की दिशा में लगातार प्रगति की है। किंतु असमानता आज भी देखी जा सकती है—विशेषकर माध्यमिक स्तर पर, सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित ऐसे समूहों को देखा जा सकता हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में भूतकाल से ही पिछड़े रहे हैं। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित (एस.ई.डी.जी.) इन समूहों को जेंडर (विशेष रूप से महिला व ट्रांसजेंडर व्यक्ति), सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान

(जैसे— अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक), भौगोलिक पहचान (जैसे— गाँव, कस्बे व आकांक्षी ज़िले के विद्यार्थी), विशेष आवश्यकता (सीखने से संबंधित अक्षमता सहित) और सामाजिक-आर्थिक स्थिति (जैसे— प्रवासी समुदाय, निम्न आय वाले परिवार, असहाय परिस्थिति में रहने वाले बच्चे, बाल तस्करी के शिकार बच्चे या बाल-तस्करी के शिकार बच्चों के बच्चे, अनाथ बच्चे जिनमें शहरों में भीख माँगने वाले व शहरी गरीब भी शामिल हैं) के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। (अनुच्छेद 6.2)

- यहाँ पर यह भी ध्यान रखना आवश्यक होगा कि यह पता लगाया जाए कि कौन-से उपाय विशेष रूप से एस.ई.डी.जी. के लिए प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए, साइकिल प्रदान करना और विद्यालयों तक पहुँचने के लिए साइकिल व पैदल चलने वाले समूहों का आयोजन करना, महिला विद्यार्थियों की बढ़ती भागीदारी के संदर्भ में यह विशेष रूप से शक्तिशाली तरीके के रूप में उभरा है। यहाँ तक कि कम दूरी वाले स्थानों पर भी सुरक्षा की दृष्टि से माता-पिता को मिलने वाले सुरक्षा-भाव के कारण यह काफी प्रभावी तरीका रहा है। (अनुच्छेद 6.5)
- यह भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि अल्प प्रतिनिधित्व वाले सभी समूहों में आधी संख्या महिलाओं की है और दुर्भाग्यवश एस.ई.डी.जी. के साथ होने वाले अन्याय का सामना अन्य समूहों से ज़्यादा इन्हीं समूहों की महिलाओं को करना पड़ता है। यह नीति मानती है कि एस.ई.डी.जी. की लड़कियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था उनकी वर्तमान में आने वाली पीढ़ियों के शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाने का सर्वोत्तम तरीका सिद्ध होगा। इसी दिशा में यह नीति इस बात की अनुशंसा करती है कि एस.ई.डी.जी. विद्यार्थियों के उत्थान के लिए बनाई जा रही नीतियों और योजनाओं को विशेष रूप से इन समूहों की बालिकाओं पर केंद्रित होना चाहिए। (अनुच्छेद 6.7)
- इसके अलावा, भारत सरकार सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और न्यायसंगत शिक्षा प्रदान करने की दिशा में देश की क्षमता का विकास करने हेतु एक 'जेंडर— समावेशी निधि' का गठन करेगी। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए राज्यों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक विशेष कोष उपलब्ध होगा। महिला और ट्रांसजेंडर बच्चों तक शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह प्रावधान बेहद महत्वपूर्ण है (जैसे— स्वच्छता व शौचालय से संबंधित सुविधाएँ, साइकिल व सशर्त नकद हस्तांतरण आदि)। यह कोष राज्यों को समुदाय आधारित कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने और उन्हें बड़े स्तर तक ले जाने में सक्षम बनाएगा। (अनुच्छेद 6.8)
- इस नीति में ऐसे स्थान जहाँ विद्यालय तक आने के लिए विद्यार्थियों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर नि:शुल्क छात्रावासों का निर्माण

किया जाएगा। यह विशेषकर ऐसे बच्चों के लिये है जो सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं। इस दिशा में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को और मज़बूत बनाया जाएगा तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की बालिकाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों (ग्रेड 12 तक) में प्रतिभागिता बढ़ाने की दृष्टि से इन्हें और अधिक विस्तारित किया जाएगा। (अनुच्छेद 6.9)

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यालय की संस्कृति में बदलाव पर बल दिया गया है। इसके तहत नीति में शिक्षा प्रणाली को समावेशी, समतापूर्ण व संवेदनशील होने की अनुशंसा की गई है। विद्यालय को समावेशी बनाने में जेंडर संबंधित मुद्दों को संबोधित करना आवश्यक है। संक्षेप में इस नीति का उद्देश्य किसी भी जेंडर या अन्य सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों के लिए शिक्षा (व्यावसायिक शिक्षा सहित) तक पहुँच में बची असमानता को समाप्त करना है। (अनुच्छेद 6.8)

जेंडर समावेशन क्या है?

जेंडर समावेशन में प्रत्येक विद्यार्थी का सम्मान किया जाता है, चाहे वह लड़का हो, लड़की हो या ट्रांसजेंडर हो। जेंडर समावेशन में न सिर्फ़ समानता सम्मिलित है, बल्कि इसमें संसाधनों, अवसरों और सुविधाओं तक की पहुँच के संदर्भ में सभी जेंडरों के साथ एक जैसा व्यवहार करना भी शामिल है। इसमें लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महिलाओं द्वारा समाज में निभाई जाने वाली विशेष और महत्वपूर्ण भूमिका को भी मान्यता दी गई है। इसलिए लड़कियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना न सिर्फ़ वर्तमान पीढ़ी, बल्कि भावी पीढ़ियों के शिक्षा के स्तरों को बढ़ाने का श्रेष्ठ तरीका है।

जेंडर समावेशी विद्यालय, विद्यालयी प्रक्रिया एवं अध्ययन सामग्री

जेंडर समावेशी विद्यालय वह होता है, जहाँ पर लड़कियों, लड़कों और ट्रांसजेंडर की विशिष्ट आवश्यकताओं का शैक्षिक, सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण में परिवेशी समुदाय द्वारा ध्यान रखा जाता है। इसमें जेंडर समावेशी पाठ्यचर्या के साथ, विद्यालयी प्रक्रिया में जेंडर समावेशन के अन्य पहलुओं, जैसे— कक्षा-प्रबंधन, भौतिक स्थान, शौचालय एवं स्वच्छता सुविधाएँ, ढाँचागत सुविधाएँ, खेलकूद एवं आकलन की विधियों आदि को भी शामिल किया जाता है। इस प्रकार, जेंडर समावेशन का विचार समाज के सभी बच्चों को बिना भेदभाव के शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की बात का समर्थन करता है।

विद्यालय हमारे समाजीकरण की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालय के वातावरण में बुनियादी सुविधाएँ, विद्यालय के पदाधिकारियों का व्यवहार, सीखने-सिखाने की प्रक्रिया, परस्पर विद्यार्थी संपर्क और विद्यार्थी-अध्यापक संपर्क आदि शामिल हैं। एक जेंडर अनुकूल विद्यालय ज्ञान-निर्माण में लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों के अनुभवों को शामिल करता है और विद्यालय के सामाजिक एवं भौतिक वातावरण में उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया, सामग्री और कक्षा में बातचीत के सभी रूप जेंडर समावेशी होने चाहिए।

विद्यार्थी विद्यालय परिवेश के साथ-साथ विद्यालय के बाहर की गतिविधियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं और वे लगातार ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं, जिनमें उन्हें स्वयं, परिवार और समाज को शामिल करते हुए मूल्यांकन एवं न्याय करना होता है। इसलिए उन्हें विद्यालय में सीखने की स्थिति प्रदान करनी होगी, जिसमें सामाजिक स्तर पर पूर्वाग्रहों को दूर करने के साथ-साथ अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को दूर करना शामिल होगा। पाठ्यचर्या को जेंडर संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों में पुरुषों और महिलाओं द्वारा अर्जित की गई स्थिर तथा बदलती भूमिकाओं एवं स्थितियों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, कक्षा में शिक्षण-अधिगम के दौरान जेंडर समानता को विकसित और मज़बूत करने में सभी प्रकार की विविधताओं और असमानताओं को पहचानने और उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

विद्यालय को जेंडर समावेशी बनाने के लिए जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधानों की आवश्यकता है, वहाँ एक समग्र दृष्टिकोण भी अपनाया जाना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम विद्यालयों को किसी भी प्रकार की हिंसा और भेदभाव के लिए 'शून्य सहनशक्ति क्षेत्र' के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। एक बार ऐसी नीति बन जाने के बाद सुरक्षित शैक्षिक वातावरण बनाए रखने के लिए अध्यापकों, स्टॉफ़ सदस्यों और बच्चों के लिए एक आचार-संहिता भी विकसित की जा सकती है, जो सुरक्षित अधिगम परिवेश को बनाए रखेगी। साथ ही समय-समय पर यह सुनिश्चित करते रहना चाहिए कि इसका क्रियान्वयन सफलतापूर्वक हो रहा है या नहीं? इसके अलावा, विद्यालय के भौतिक परिवेश (विद्यालय के अंदर और बाहर) को भी जेंडर समावेशी बनाना चाहिए। जेंडर समावेशी बनाने में विद्यालय भवन और सभी क्षेत्र, जैसे—खेल के मैदान, कक्षाएँ, स्टॉफ़ रूम, प्रयोगशालाएँ, शौचालय, पुस्तकालय तथा आस-पास के अन्य क्षेत्र, जैसे—बस स्टॉप और वाहनों का पार्किंग क्षेत्र भी सम्मिलित हैं। इन सभी स्थानों पर, सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जेंडर सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

विद्यालय का परिवेश ऐसा होना चाहिए, जहाँ सभी जेंडर के विद्यार्थियों के सम्मान एवं गरिमा को प्रोत्साहित किया जाए। इसमें विद्यालय में शिक्षार्थियों द्वारा निभाई जाने वाली विभिन्न भूमिकाएँ, दृश्य प्रदर्शन तथा विद्यालय के अध्यापकों एवं कर्मचारियों द्वारा जेंडर समानता को प्रोत्साहित किया जाना भी सम्मिलित है। विद्यालय को अध्यापकों और कर्मचारियों के लिए जेंडर पूर्वाग्रहों, भेदभाव और किसी भी प्रकार की जेंडर हिंसा को संबोधित करने के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण एवं पेशेवर विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। इनके माध्यम से उन्हें विभिन्न नीतियों और कानूनों की जानकारी दी जानी चाहिए जो जेंडर समानता और सुधार को प्रोत्साहित करती हैं।

विद्यालयी शिक्षा की औपचारिक पाठ्यचर्या में व्यापक रूप से विद्यालय में पढ़ाया जाने वाला समस्त उपर्युक्त और अनिवार्य ज्ञान सम्मिलित है। लेकिन, कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें विद्यालयी तंत्र में अनौपचारिक रूप से पढ़ाया या सिखाया

जाता है, जिसे अप्रत्यक्ष या गुप्त पाठ्यचर्या (*हिडेन करिकुलम*) कहते हैं। अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या वह पाठ्यचर्या है, जिसे विद्यार्थी विद्यालय में आत्मसात करते हैं, जो उनके औपचारिक पाठ्यक्रम का भाग हो भी सकती या नहीं भी हो सकती है। इस पाठ्यचर्या में वह व्यवहार, योजना एवं सोच शामिल है, जिसे विद्यार्थी अनजाने में ग्रहण कर लेते हैं।

जेंडर भी एक प्रकार से इस अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या का घटक बन जाता है। इसे विभिन्न पारिवारिक या सामाजिक प्रबंध संबंधी व्यवस्थाओं के द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसमें लड़कियों को साफ़-सफ़ाई, झाड़ू लगाने या ऐसे कार्य की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती है, जो घरेलू कार्यों से जुड़ी होती हैं। जबकि लड़कों को ऐसे कार्य दिए जाते हैं, जो उनमें नेतृत्व के गुणों को बढ़ाते हैं। ऐसे ही प्राय: विद्यालयों में अध्यापकों द्वारा नित्य कार्यों का आंवटन जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा देते हैं। अनेक विद्यालयों में लड़कियों को हल्के और सजावटी कार्यों को करते देखा जा सकता है। साथ ही, कक्षा को व्यवस्थित करना या मुख्य अतिथि को गुलदस्ता देना आदि भी शामिल है। जबकि लड़कों को वे कार्य दिए जाते है, जिनमें ताकत एवं तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे— फ़र्नीचर उठाना, मेज व्यस्थित करना, लाइट लगाना, त्योहारों पर पंखे साफ़ करना या सजावट का सामान लटकाना आदि। यदि विद्यालय द्वारा इस प्रकार की अप्रत्यक्ष पाठ्यचर्या को संबोधित नहीं किया जाएगा, तो लड़के एवं लड़कियों द्वारा उन्हें सौंपी गई भूमिकाओं और दायित्वों को आत्मसात करना जारी रहेगा। इसके अलावा, विद्यालयी शिक्षा में अध्ययन सामग्री की भी एक अलग भूमिका होती है, जिसे जेंडर समावेशी बनाने की आवश्यकता है।

- भाषा के शिक्षण-अधिगम में भाषा की विषय-वस्तु में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को अवश्य संबोधित किया जाना चाहिए। अत: यह अनिवार्य है कि महिलाओं के समाज के विविध क्षेत्रों में दिए गए योगदान को पाठ्यसामग्रियों में सम्मिलित किया जाए। भाषाएँ समाज में कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों (लड़कियों, महिलाएँ एवं ट्रांसजेंडर) की आवाज़ बनकर मुख्यधारा की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में शामिल हो सकती हैं।
- गणित द्वारा जेंडर पर विशेष महत्व देना होगा जैसे घर के काम महत्वपूर्ण और उत्पादक होते हैं। अत: उन्हें गणित में इस तरह से शामिल किया जाना चाहिए (गणितीय प्रश्नों के द्वारा) जिसमें परिवार के सभी सदस्यों की सहभागिता समान रूप से विभाजित की जा सके। लड़कियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रबंधकों, राजनीतिज्ञ, उद्यमियों, पायलट, वैज्ञानिक, गणितज्ञ इत्यादि के रूप में अपनी भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- विज्ञान तर्कपूर्ण चिंतन को बढ़ावा देता है। इस तरह विज्ञान विषय वर्ग, जाति, जेंडर और धर्म के आधार पर पूर्वग्रहों पर तर्कपूर्ण दृष्टिकोण विकसित कर उन्हें समाप्त करने में योगदान देता है। विज्ञान द्वारा विद्यार्थियों को शारीरिक गुण और व्यक्तिगत भिन्नताओं को वैज्ञानिक ढंग से सिखाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण और उसका जीवन पर प्रभाव भी विज्ञान विषय द्वारा प्रभावी ढंग से पढ़ाया जा सकता है।
- अध्यापक असमानता या भेदभाव को संबोधित करने में विद्यार्थियों की सहायता से तथ्यों का

विश्लेषण कर पढ़ा सकते हैं, जैसे— जैविक रूप से किसी भी जेंडर को दूसरे जेंडर से श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। क्योंकि जीवन के समस्त क्रियाकलापों की पूर्ण अभिव्यक्ति सभी जेंडरों के सहयोग पर निर्भर करती है। इस विचार के लिए विद्यार्थियों को जागरूक करने की आवश्यकता है कि दैनिक जीवन के क्रियाकलापों में सभी जेंडरों का समान महत्व है।

- जेंडर से जुड़े मुद्दे विद्यालय के संपूर्ण शिक्षण-अधिगम परिवेश में निहित हैं। अत: विद्यालय में जेंडर से जुड़ी बाधाओं की पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए रणनीति विकसित करके विद्यालय तक पहुँच की समानता बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। अतः विद्यालय ऐसा स्थान है जहाँ पर जेंडर निष्पक्ष समाज का निर्माण किया जा सके।

विद्यालयी परिवेश की जेंडर ऑडिटिंग

विद्यालयों के प्रबंधन में रचना और क्रियान्वयन में जेंडर निष्पक्षता प्राय: प्रदर्शित नहीं होती है। अधिकांश मामलों में पाया गया है कि विद्यालयों में यौन शोषण, बालिकाओं की सुरक्षा आदि के विरुद्ध कोई नीति या नियम नहीं होते हैं, जो एक गंभीर विषय है। इसलिए नियमित अंतरालों पर प्रत्येक विद्यालय की जेंडर ऑडिटिंग आवश्यक है। इसमें विद्यालयों में जेंडर समानता की संकल्पना को बढ़ावा दिया जा सके और विद्यालयों के सभी क्रियाकलापों को जेंडर की नज़र (लेंस) से देखा जा सके। इस प्रक्रिया से लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडर की आवश्यकताओं के प्रति विद्यालयों की जवाबदेही विकसित या सुनिश्चित की जा सकेगी।

विद्यालय की संस्कृति सभी शिक्षार्थियों के सम्मान और गरिमा को बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। इसमें शिक्षार्थियों द्वारा विद्यालय में विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं तथा विद्यालय के अध्यापकों और स्टॉफ़ सदस्यों द्वारा जेंडर समानता को बढ़ावा देने के तरीके भी शामिल हैं। इसके अलावा, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री जेंडर रूढ़ियों से मुक्त होनी चाहिए। उन्हें सभी जेंडरों की सकारात्मक भूमिकाओं को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे— उच्च अध्ययन के लिए महिलाएँ, घर के कामों में मदद करने वाले पुरुष, व्यवसायी या उद्यमी बनने वाली महिलाएँ आदि।

विद्यालय को अध्यापकों और प्रशासनिक कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं पेशेवर विकास कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। इसमें जेंडर पूर्वग्रह, भेदभाव और हिंसा को संबोधित करने के तरीके शामिल हों। साथ ही, उन्हें विभिन्न नीतियों और कानूनों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए, जो जेंडर समानता को बढ़ावा देते हैं। विद्यालय में शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं और गतिविधियों में सभी जेंडर के विद्यार्थियों को भाग लेने का समान अवसर प्रदान करना चाहिए।

विद्यालय में शिक्षार्थियों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं सहित मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान होना चाहिए। विशेष रूप से उन शिक्षार्थियों के लिए जो उत्पीड़न और हिंसा के शिकार हुए हैं। इस हेतु विद्यालय को ऐसे मुद्दों पर सहायता प्रदान करने वाले गैर-सरकारी संगठनों और समाज कल्याण विभागों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। विद्यालय की गतिविधियों में

माता-पिता और समुदाय के सदस्यों को विशेषकर जेंडर समानता पर की गई पहलों के लिए शामिल करना चाहिए।

अध्यापकों की भूमिका

अध्यापक विद्यालयी शिक्षा प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण हितधारक हैं। कक्षाओं को जेंडर समावेशी बनाने में अध्यापक अहम भूमिका निभाते हैं। स्वयं अध्यापक भी अपने समाजीकरण के कारण औपचारिक या अनौपचारिक रूप से जेंडर पूर्वग्रह से ग्रसित होते हैं। क्योंकि समाज के अन्य सदस्यों की भाँति, अध्यापकों का भी जेंडर भूमिकाओं के संदर्भ में समाजीकरण होता है। इस प्रकार, उनकी भी जेंडर के बारे में कुछ पूर्वधारणाएँ होती हैं, जिन्हें वे विद्यालय और कक्षा में अपने साथ लाते हैं। लड़कियों, लड़कों और ट्रांसजेंडर के लिए उपयुक्त सामाजिक व्यवहार के बारे में अपनी पूर्वधारणाओं के कारण वे इन बच्चों के साथ अलग-अलग तरीके से व्यवहार कर सकते हैं। इसमें उनके द्वारा विद्यार्थियों के बीच भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के चयनात्मक वितरण, गतिविधियों के आवंटन, अनुचित भाषा का उपयोग आदि के रूप में देखा जा सकता है। अत: अध्यापकों का इस तरह का व्यवहार लड़कियों के बीच कम आत्मसम्मान और अलगाव की भावना पैदा करता है, जिससे उनकी कक्षा की गतिविधियों में उनकी सहभागिता प्रभावित होती है। ऐसे में अध्यापक को शिक्षण-अधिगम परिवेश को समावेशी बनाने का प्रयास करना चाहिए, जहाँ लड़कियाँ भी सीखने की प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल हों।

इस हेतु अध्यापक को पहले सभी विद्यालयी गतिविधियों में जेंडर भेद की पहचान करनी चाहिए। जेंडर भेद की पहचान करने के बाद कक्षा में और कक्षा के बाहर गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए। इस प्रकार, यह विद्यालय में निश्चित रूप से एक सक्षम परिवेश तैयार करेगा, जहाँ लड़कियों सहित सभी विद्यार्थी अपने अनुभव साझा कर सकेंगे तथा मौजूदा पूर्वग्रहों और रूढ़ियों पर सवाल उठा सकेंगे। साथ ही, इन पर चर्चा और संवाद कर उपयुक्त समाधान निकाल सकेंगे।

अध्यापक द्वारा विद्यालय में जेंडर समावेशी परिवेश बनाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं—

- शिक्षार्थियों को उन अभिवृत्तियों पर सवाल उठाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जो जेंडर भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के आधार पर पूर्वग्रह प्रदर्शित करती हैं।
- सभी शिक्षार्थियों को लेखन-बोर्ड पर लिखने और अपना काम या कक्षा के सामने उत्तर प्रस्तुत करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए।
- सभी जेंडर के विद्यार्थियों को कक्षा के मॉनीटर बनने के लिए प्रोत्साहित करें। संभवतः एक ट्रांसजेंडर, एक महिला और एक पुरुष सह-मॉनीटर बनाए जाने चाहिए। अच्छा कार्य, अच्छे अंक प्राप्त करने पर पुनर्बलन का प्रयोग कर सभी जेंडर के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- ऐसी शिक्षण सामग्री का उपयोग करें जो समान संख्या में ट्रांसजेंडर, महिला और पुरुष पात्रों का प्रतिनिधित्व करती हों और समान गतिविधियों में संलग्न हों।
- विद्यालयों की दीवारों पर ऐसे पोस्टर लगाने चाहिए, जो एक साथ गतिविधियों में शामिल

महिला, पुरुष और ट्रांसजेंडर पात्रों को चित्रित करते हों। साथ ही, सभी की गतिविधियों को प्रदर्शित करने के समान अवसर प्रदान करें।

- अध्यापक-विद्यार्थी संबंध भी सीखने के लिए अनुकूल होने चाहिए और सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील होने चाहिए।
- पाठ्यचर्या का संचालन करते समय, जेंडर तटस्थ भाषा का उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए और अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के नाम सीखने का प्रयास करना चाहिए। जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं, पुरुषों, ट्रांसजेंडरों के योगदान को उजागर करने का प्रयास करें ताकि विद्यार्थी प्रेरित हों, जुड़ाव महसूस करें और शामिल हों।

प्रधानाचार्य की भूमिका

विद्यालय संचालन में प्रधानाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जेंडर संवेदनशील विद्यालय प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने में उनकी प्राथमिक भूमिका होती है। प्रधानाचार्य को विद्यालय के प्रशासन और संचालन में जेंडर समानता को प्रोत्साहित करना चाहिए।

विद्यालय में प्रधानाचार्य द्वारा जेंडर से संबंधित मुद्दों पर सहायक स्टॉफ़ सहित सभी स्टॉफ़ सदस्यों को संवेदनशील बनाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। साथ ही, उन्हें विद्यालय में जेंडर संवेदनशील भौतिक सुविधाएँ सुनिश्चित करना चाहिए, जैसे— अलग कार्यात्मक (चालू) शौचालय, पर्याप्त शौचालय, पानी की उपलब्धता, विद्यालय परिसर में स्वच्छता और सैनिटरी पैड की उपलब्धता आदि। इसके अलावा, इन सबकी जाँच प्रधानाचार्य द्वारा नियमित रूप से की जानी चाहिए।

प्रधानाचार्य को विद्यालय से संबंधित मामलों में माता-पिता, अध्यापकों, गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों, समुदाय के सदस्यों, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के व्यवहार और कार्यों में जेंडर रूढ़िवादिता को दूर करने के प्रयास करने चाहिए।

प्रधानाचार्य कक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को जेंडर संवेदनशील बनाने के लिए अध्यापकों का समर्थन प्राप्त कर उन्हें सहयोग दें। उदाहरण के लिए, अध्यापकों और अन्य गैर-शिक्षण कर्मचारियों को जेंडर संवेदनशील भाषा का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित कर अच्छे वातावरण का निर्माण करना। सामान्यत: हिंसा विद्यालय के भीतर और बाहर विभिन्न रूपों में प्रकट होती है, इसलिए लड़कों, लड़कियों और ट्रांसजेंडरों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण आयोजित करना चाहिए। प्रधानाचार्य को विद्यालय में किसी भी प्रकार की हिंसा के लिए 'शून्य सहनशक्ति' की नीति विकसित कर लागू करनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं की व्यवस्था विद्यालय की एक नियमित विशेषता होनी चाहिए।

विद्यालय परिवेश को जेंडर संवेदनशील बनाने वाले नियमों और विनियमों को तैयार करना, लागू करना और निगरानी करना विद्यालय प्रबंधन एवं प्रधानाचार्य की ज़िम्मेदारी है। इस प्रकार, विद्यालय परिवेश को जेंडर समावेशी बनाने में अध्यापकों और प्रधानाचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

निष्कर्ष

यह लेख दर्शाता है कि कैसे सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर लड़कों, लड़कियों, पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के दृष्टिकोण और व्यवहार

को आकार देता है। यह लेख जेंडर समावेशी पाठ्यचर्या के महत्व के साथ-साथ कक्षा प्रबंधन, भौतिक स्थान, शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं, खेल सुविधाओं, बुनियादी ढाँचे, अध्यापक चर्चा, कार्यों की परियोजना आदि जैसे जेंडर समावेशन के अन्य आयामों के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास करता है। यह अध्यापकों और प्रधानाचार्यों की उस भूमिका पर भी चर्चा करता है, जो शिक्षण-अधिगम की प्रक्रिया में सबसे आगे है और बताता है कि कक्षा में प्रवेश करते समय अध्यापकों को अपने सभी पूर्वग्रहों को छोड़ देना चाहिए। अंत में, यह लेख अध्यापकों को शैक्षणिक प्रक्रियाओं में जेंडर सरोकारों को एकीकृत करने के तरीकों से अवगत करता है।

संदर्भ

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 1997. *पाठ्यचर्या के माध्यम से महिला समानता और सशक्तिकरण– उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापकों के लिए एक हस्त-पुस्तिका*. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

———. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005— शिक्षा में जेंडर मुद्दों पर राष्ट्रीय फोकस समूह*. आधार पत्र. रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

———. 2013. *जेंडर समानता और सशक्तिकरण पर अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सामग्री*— जेंडर और समाज के परिप्रेक्ष्य खंड. 1, रा.शै.अ.प्र.प., नई दिल्ली.

समग्र-शिक्षा-योजना https://samagra.education.gov.in// से प्राप्त किया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. भारत सरकार. मानव संसाधन विकास मंत्रालय. नई दिल्ली. 20 मई 2020 को https://www.education.gov.in/sites/upload_files/ mhrd/files/NEP_ final_HINDI_0.pdf से प्राप्त किया गया है।